ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त रबी 2021-22 की फसल के लिये विशेष गिरदावरी

चर्चा में क्यों?

3 मार्च, 2022 को हरियाणा विधानसभा के चालू बजट सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सदन में बताया कि राज्य के कुछ ज़िलों में हाल ही में हुई ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त रबी 2021-22 की फसल के लिये विशेष गिरदावरी का काम 1 मार्च, 2022 से शुरू हो चुका है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि राज्य में रबी फसलों की सामान्य गिरदावरी का कार्य 28 फरवरी तक किया जाता है, जबकि हाल ही में 25-26 फरवरी को हुई ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त रबी फसलों के लिये विशेष गिरदावरी का कार्य 1 मार्च से शुरू किया गया है।
- विशेष गिरदावरी के पूरा होते ही मुआवज़ा सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि धान, कपास, बाजरा जैसी खरीफ फसलों (2020-21) के लिये मुआवज़ा राशि का वितरण किया जा रहा है।
- उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर किसानों की कृषि भूमि में जलभराव के कारण फसल की बिजाई नहीं हो पाती है तो भी पीड़ित किसानों को मुआवज़ा दिया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि भारी वर्षा, जलभराव तथा कीट के हमलों से खरीफ 2021 की फसल (कपास, मूंग, धान, बाजरा और गन्ना) में नुकसान हुआ था, जिसके लिये हरियाणा सरकार द्वारा विशेष गिरदावरी करवाई गई।
- गिरदावरी में करनाल, पलवल, नूंह, गुरुग्राम, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक, सोनीपत, झज्जर समेत कुल 12 ज़िलों के डीसी की रिपोर्ट के अनुसार 9,14,139 किसानों को प्रभावित पाया गया। 24,320 किसानों के मुआवज़े को उनके बैंक खाते में सीधा स्थानांतरित किया जा चुका है। शेष किसानों के मुआवज़े को 15 मार्च, 2022 तक करने के निर्देश दिये गए हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/special-girdawari-for-rabi-2021-22-crop